न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 253/2020

तारीख दायर 27–11–2020

तारीख फैसला 15/11/2021

उनवान

...लाल पुत्र चांदराम
...लाल पुत्र चांदराम जातियान अहीर निवासीयान ग्राम सरकनपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: प्रार्थी

बनाम

...राम पुत्र श्री झम्मन जाति अहीर निवासी ग्राम सरकनपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

————:: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

—:: निर्णय ::—

...र्थना पत्र के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्म ...स्वामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत हाल ...खसरा नम्बर 392 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम सरकनपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) में स्थित है। ...राजी का सम्पूर्ण रकबा इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्यतकारी अधिनियम 1955 आदेश ... 1 व 2 एवं सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया।

...उपरोक्त आराजी हम प्रार्थीगण की दादालाई की पैतृक आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण के हक हकूक निहित ...बाई बर्थ प्रार्थीगण को हक हासिल हो चुके हैं तथा प्रार्थी संख्या 1 व 2 अप्रार्थी के सगे पुत्र है। विवादित ...प्रार्थीगण की पैतृक दादालाई की आराजी है, जिस आराजीयात में हम प्रार्थीगण का जमाबन्दी अनुसार ...निहित है। अब अप्रार्थी दीगर व्यक्ति से साजबाज हो रहा है तथा उपरोक्त विवादित आराजी को दीगर ...यान कर खुर्द–बुर्द करना चाहता है और आये रोज प्रार्थीगण को उपरोक्त आराजी से बेदखल करने की ... देता है और आये रोज ऐलानियां धमकियां देता है कि मैं तुमकों उक्त आराजी में से कुछ भी हिस्सा नहीं ...र तुम्हें सडक पर ले आउंगा और हम प्रार्थीगण का उपरोक्त आराजी में जन्म से ही बाई बर्थ हक–हकूक ...हो चुका है। अप्रार्थी जो कि काफी बुजुर्ग व्यक्ति है तथा सानीपात की स्थिति में है, हम प्रार्थीगण को हमारे ...की आराजी से बेदखल करना चाहता है तथा हम प्रार्थीगण को अप्रार्थी ने अलग–अलग किया हुआ है, ...अब अप्रार्थी के मन में बदनियती आ गई है तथा उपरोक्त आराजी दीगर जगह रहन, बैय, हिबा आदि से ...ल करना चाहता है। जिनका उन्हे कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि उपरोक्त आराजी में मिन ...ण का उपरोक्त अनुसार हिस्सा निहित है। अप्रार्थी उपरोक्त आराजीयात को दीगर जगह गलत रूप से ...किल कर मिन प्रार्थीगण के हक व हिस्से को मिसमार करना चाहता है। उपरोक्त अप्रार्थी ने दीगर लोगों के ...में आकर दिनांक 02.11.2020 को हम प्रार्थीगण को धमकी दी कि में उपरोक्त विवादित आराजीयात को ... जगह रहन, बैय, हिबा आदि से मुन्तकिल करूंगा और तुम्हें उपरोक्त आराजीयात से बेदखल करूंगा। यदि

अपने नापाक इदारों में कामयाब हो गया तो मिन प्रार्थी को अजहद हानि होगी तथा अपनी एक सम्पत्ति से महरूम होना पडेगा, जिसकी कीमत किसी भी रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थी अदालत मूल वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वो आराजी खसरा नम्बर 392 वाके ग्राम सरकनपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित है, से जबरन बेदख लना प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करें, ना ही उपरोक्त आराजी को दीगर जगह, आदि से मुन्तकिल करें तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।

ना पत्र पेश होने पर वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 06.11.2020 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया गया कि वे आराजी खसरा नम्बर 392/0.13 है0 रकनपुर तहसील तिजारा जिला अलवर पर विवादित आराजी को रहन, बय एवं मुन्तकिल ना करें। दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया जाकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अवसर प्रदान किया गया। राजवाला द्वारा एक प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 के तहत पेश कर निवेदन के उक्त विवादित आराजी से प्रार्थीयां के हित निहित है इसलिए प्रार्थीयां को अप्रार्थी संख्या 1 की जद में कदमा बनाया जावें। प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 की जद में कदमा बनाया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रेपित किया गया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 0.13 है0 वाके ग्राम सरकनपुर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी रिकार्ड न के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। आराजी दादालाई पैत्रिक आराजी नहीं है। प्रार्थीगण का वर्णित आराजी में कोई हक व अधिकार निहित नहीं है। उक्त अनुवान प्रकरण में प्रार्थीगण ने चांदराम के दो ही वारिसान ा पेश किया है और अन्य दावों में चांदराम के इन दोनो के अलावा दो लडकियां और होना बताया है। ी प्रार्थीगण की बदयान्ति साफ जाहिर होती है। उक्त वर्णित आराजी रिकार्ड में चांदराम के नाम दर्ज ही है। आराजी प्रार्थीगण की दादालाई पैत्रिक आराजी नहीं है। प्रार्थीगण का वर्णित आराजी में बाई बर्थ व अधिकार निहित नहीं है। रिकार्ड में चांदराम के नाम का अंकन होने पर मिन अप्रार्थीयां ने उक्त वर्णित जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 12.09.2019 को बाकब्जा, बाप्रतिफल अदा कर खरीद की है। जिस को उपपंजीयक कार्यालय तिजारा के यहां से निष्पादित कराया था। रिकार्डेड खातेदार को अपनी आराजी न करने का कानूनन हक व अधिकार हासिल है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चांदराम को अपनी पारिवारिक कता के लिए रकम की जरूरत थी और प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के वारिसान की सहमति से ही चांदराम ने का अपनी स्वेच्छा से बिना किसी जबर व दबाव के बेचान किया है। इस आराजी के अलावा मिन अप्रार्थीयां राम की वाके ग्राम मुण्डाना की आराजी खसरा नम्बर 865 रकबा 0.39 है0, 878 रकबा 0.22 है0, 879 रकबा है0, 881 रकबा 0.34 है0 में से 1/4 भाग को भी बाकब्जा बाप्रतिफल अदा कर जरिये रजि. बयनामा दिनांक 2019 को खरीद की है। मिन अप्रार्थीयां खरीदशुदा उक्त आराजी की सद्भावी क्रेता है। मिन अप्रार्थीयां शुदा उक्त आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करतीं आ रही है। मिन अप्रार्थीयां ने उक्त ी का बयनामा हल्का पटवारी को इंतकाल दर्ज करने के लिए दे दिया। हल्का पटवारी ने वाद में वर्णित ी का इंतकाल संख्या 424 दिनांक 10.11.2020 को दर्ज कर दिया व कानूनगों से मिलान कराकर स्वीकार

गुण्डाना को दे दिया। परन्तु प्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गई और मिन अप्रार्थीयां की को स्वीकार को रोकने की गरज से यह मिथ्या दावा व मिथ्या प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थीयां को बनाये बाला बाला बेचान के तथ्यों को छुपाते हुए न्यायालय श्रीमान् के यहां दायर कर दिया व को गुमराह कर उक्त प्रकरण में एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। जबकि प्रार्थीगण को था कि उनकी सहमति से ही चांदराम ने उक्त वर्णित आराजी का बेचान बाकब्जा, बाप्रतिफल प्राप्त र्थीयां को किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी से प्रार्थीगण का बाद बेचान कोई हक व अधिकार है। प्रार्थीगण आराजी पर काबिज व दाखिल नहीं है। दिनांक 02.11.2020 की कहानी मिथ्या एवं की है। जिससे साफ जाहिर है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 चांदराम पिता पुत्र है। जिन्होने र यह कोलेसिव वाद व प्रार्थना पत्र दायर किया है। मिन अप्रार्थीयां आराजी की सद्भावी केता है तथा अप्रार्थीयां का अपनी खरीदशुदा आराजी पर वास्तविक कब्जा है। मिन अप्रार्थीयां के नाम उक्त इंतकाल संख्या 424 दर्ज व मिलान हो चुका है, इंतकाल स्वीकार ना होने की गरज से प्रार्थीगण ने यह व झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण, मिन अप्रार्थीयां को किसी भी सूरत में पाबन्द कराने के नहीं है। प्रार्थीगण के वर्णित आराजी में कोई बाई बर्थ हक व अधिकार नहीं है। सुविधा का संतुलन एवं वाली क्षति मिन अप्रार्थीयां के पक्ष में है। प्रार्थीगण मुकदमेंबाज, चालाक, चतुर, धोखेबाज, बेईमान किस्म है। प्रार्थीगण व उसका परिवार पूरी तरह से मिला हुआ है और कोलेसिव स्यूट डाल डालकर मिन की खरीदशुदा आराजी से बेदखल करना चाहते है। प्रार्थीगण का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं है जबकि र्थीयां आराजी की सदभावी केता है। मिन अप्रार्थीयां आराजी पर बदस्तूर काबिज व दाखिल होकर काश्त रही है तथा मौके पर मिन अप्रार्थीयां का वास्तविक कब्जा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थीयां की श कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाई जावें।

वकुलाय फरीकैन की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। अप्रार्थीयां अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान आर.आर.डी. लाल बनाम खेमचन्द पेज नम्बर 429 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकुलाय पर मनन किया। अप्रार्थीयां अधिवक्ता द्वारा कथन किया है र्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीयां संख्या 2 को पूर्व में विवादित आराजी का बेचान किया जा चुका है एवं रजिस्ट्री समय चैक संख्या 095874 दिया गया है जिसमें कुछ गलती होने से चैक केन्सील हो गया, जिसके स्थान पर बर 095876 दिया गया है जो छोटी पत्नि राजपाल के खाते में क्लीयर होना अवगत कराया गया है। के अधिकार तो मूल वाद में ही तय होने है। वाद के तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का एवं अपूरणीय क्षति होना प्रमाणित नहीं होता है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सपठित धारा 151 जाप्ता खारिज किये जाने योग्य है। फलस्वरूप प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)